

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIAएस.जी.-डी.एल.-अ.-08092025-265994  
SG-DL-E-08092025-265994असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

|          |                                                     |                            |
|----------|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| सं. 263] | दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 4, 2025/भाद्र 13, 1947 | [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 209 |
| No. 263] | DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 4, 2025/BHADRA 13, 1947  | [N. C. T. D. No. 209       |

भाग IV  
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIवन एवं वन्यजीव विभाग  
अधिसूचना

दिल्ली, 3 सितम्बर, 2025

एफ.आईडी संख्या 24482/टीओ(एन)/टीसी-ट्रांसप्लान्ट/2024-25/7511—जबकि, डीपीटीए ई-फॉरेस्ट पोर्टल पर वृक्ष अधिकारी (उत्तर वन प्रभाग) को को उप महाप्रबंधक (टीएलसी), पावरग्रिड नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड, 765/400 केवी नरेला जीआईएस सबस्टेशन से एक आवेदन आईडी संख्या 24482 प्राप्त हुआ था, जिसमें दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 (1994 का दिल्ली अधिनियम 11) (तत्पश्चात् डीपीटीए, 1994 के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत मेरठ-भिवानी ट्रांसमिशन लाइन के स्पर्श, के निर्माण हेतु 22.2617 हेक्टेयर क्षेत्र में 50 वृक्षों के प्रत्यारोपण/कटाई हेतु अनुमति मांगी गई थी।

और जबकि, वृक्ष अधिकारी (उत्तर वन प्रभाग) ने आवेदन पर समुचित विचारण के पश्चात्, दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 9 की उप-धारा (3) में वृक्ष अधिकारी (उत्तर वन प्रभाग) द्वारा वृक्ष प्रत्यारोपण/कटाई के आवेदन पर विचार करने हेतु अधिकतम एक हेक्टेयर क्षेत्र की सीमा को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 9 की उप-धारा (3) की अनुप्रयोज्यता से दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 धारा 29 के अंतर्गत 22.2617 हेक्टेयर क्षेत्र (अनुलग्नक-क में विवरणानुसार) के संबंध में छूट मांगी है।

इसलिए, दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा जनहित में, दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम (डीपीटीए), 1994 के

अंतर्गत मेरठ—भिवानी ट्रांसमिशन लाइन के स्पर्द, के निर्माण हेतु उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के अंतर्गत अधिकतम एक हेक्टेयर क्षेत्र की सीमा से 22.2617 हेक्टेयर क्षेत्र (अनुलग्नक—क में विवरणानुसार) को निम्नलिखित शर्तों के साथ छूट प्रदान करते हैं :

- 1) यह अधिसूचना दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 29 के अंतर्गत केवल 22.2617 हेक्टेयर क्षेत्र (अनुलग्नक—क में विवरणानुसार) को दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम (डीपीटीए), 1994 के अंतर्गत मेरठ—भिवानी ट्रांसमिशन लाइन के LILO, के निर्माण हेतु दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 9 की उप-धारा (3) के अंतर्गत अधिकतम एक हेक्टेयर क्षेत्र की सीमा से छूट देने हेतु जारी की जा रही है। जैसा कि वृक्ष अधिकारी (उत्तर वन प्रभाग) द्वारा मांग की गई हैं
- 2) दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 29 के अंतर्गत छूट हेतु यह अधिसूचना, किसी भी स्थिति में, दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 के अंतर्गत वृक्षों के प्रत्यारोपण/कटाई की अनुमति के रूप में नहीं मानी जाएगी।
- 3) वृक्षों के प्रत्यारोपण/कटाई हेतु आवेदन पर वृक्ष अधिकारी ( उत्तर वन प्रभाग) द्वारा दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994, दिल्ली वृक्ष परिरक्षण नियमावली, 1996 के प्रावधानों, संबंधित दिशा—निर्देशों, इस संबंध में जारी निर्देशों तथा समस्त संबंधित न्यायालय आदेशों के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से तथा पृथक रूप से विचार किया जाएगा और जांच की जाएगी, जिसमें छूट प्राप्त क्षेत्र के भीतर प्रत्यारोपण/कटाई / छंटाई जाने वाले प्रभावित वृक्षों की संख्या को न्यूनतम करने हेतु आवेदन को ध्यान में रखा जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

संदीप कुमार, प्रधान सचिव (पर्यावरण एवं वन)

अनुलग्नक-क

मेरठ-भिवानी ट्रांसमिशन लाइन के **LILO**, दिल्ली के निर्माण हेतु दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 9 (3) के अंतर्गत अधिकतम 1 हेक्टेयर क्षेत्र की सीमा के प्रावधान से धारा 29 के अंतर्गत छूट प्राप्त क्षेत्र की सीमा का विवरण।



मेरठ-भिवानी ट्रांसमिशन लाइन के स्वरूप के निर्माण हेतु दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 9 (3) के अंतर्गत अधिकतम 1 हेक्टेयर क्षेत्र की सीमा के प्रावधान से धारा 29 के अंतर्गत छूट प्राप्त क्षेत्र की सीमा का विवरण।

| क्र० सं० | उत्तर दिशा की ओर | पूर्व दिशा की ओर | अक्षांश             | देशान्तर             |
|----------|------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 1.       | 3189764.360      | 697708.500       | 28° 49' 13.1471" उ० | 77° 01' 34.1063" पू० |
| 2.       | 3189527.570      | 697822.510       | 28° 49' 05.3944" उ० | 77° 01' 38.1613" पू० |
| 3.       | 3189472.330      | 698030.940       | 28° 49' 03.4850" उ० | 77° 01' 45.8121" पू० |
| 4.       | 3189286.180      | 698273.910       | 28° 48' 57.3051" उ० | 77° 01' 54.6538" पू० |
| 5.       | 3189100.030      | 698516.870       | 28° 48' 51.1251" उ० | 77° 02' 03.4948" पू० |
| 6.       | 3189147.980      | 698742.640       | 28° 48' 52.5567" उ० | 77° 02' 11.8497" पू० |
| 7.       | 3189195.940      | 698968.400       | 28° 48' 53.9884" उ० | 77° 02' 20.2042" पू० |
| 8.       | 3189516.410      | 699097.630       | 28° 49' 04.3232" उ० | 77° 02' 25.1721" पू० |
| 9.       | 3189836.890      | 699226.870       | 28° 49' 14.6582" उ० | 77° 02' 30.1406" पू० |
| 10.      | 3190342.630      | 699121.460       | 28° 49' 31.1403" उ० | 77° 02' 26.5741" पू० |
| 11.      | 3190531.690      | 699119.480       | 28° 49' 37.2808" उ० | 77° 02' 26.6209" पू० |
| 12.      | 3190727.460      | 699101.690       | 28° 49' 43.6481" उ० | 77° 02' 26.0889" पू० |
| 13.      | 3190905.570      | 699123.640       | 28° 49' 49.4198" उ० | 77° 02' 27.0112" पू० |
| 14.      | 3191083.670      | 699145.590       | 28° 49' 55.1911" उ० | 77° 02' 27.9335" पू० |
| 15.      | 3191410.290      | 699131.420       | 28° 50' 05.8055" उ० | 77° 02' 27.6180" पू० |
| 16.      | 3191736.910      | 699117.260       | 28° 50' 16.4199" उ० | 77° 02' 27.3028" पू० |
| 17.      | 3191709.730      | 699051.190       | 28° 50' 15.5742" उ० | 77° 02' 24.8489" पू० |
| 18.      | 3191398.030      | 699064.800       | 28° 50' 05.4445" उ० | 77° 02' 25.1533" पू० |
| 19.      | 3191086.330      | 699078.410       | 28° 49' 55.3149" उ० | 77° 02' 25.4577" पू० |
| 20.      | 3190907.430      | 699056.360       | 28° 49' 49.5177" उ० | 77° 02' 24.5313" पू० |
| 21.      | 3190728.540      | 699034.310       | 28° 49' 43.7208" उ० | 77° 02' 23.6048" पू० |
| 22.      | 3190528.310      | 699052.520       | 28° 49' 37.2084" उ० | 77° 02' 24.1495" पू० |
| 23.      | 3190335.370      | 699054.540       | 28° 49' 30.9418" उ० | 77° 02' 24.1018" पू० |
| 24.      | 3189843.110      | 699157.130       | 28° 49' 14.8991" उ० | 77° 02' 27.5730" पू० |
| 25.      | 3189548.590      | 699038.370       | 28° 49' 05.4012" उ० | 77° 02' 23.0074" पू० |
| 26.      | 3189254.060      | 698919.600       | 28° 48' 55.9029" उ० | 77° 02' 18.4416" पू० |

|     |             |            |                     |                      |
|-----|-------------|------------|---------------------|----------------------|
| 27. | 3189213.020 | 698726.360 | 28° 48' 54.6778" उ० | 77° 02' 11.2905" पू० |
| 28. | 3189171.970 | 698533.130 | 28° 48' 53.4522" उ० | 77° 02' 04.1398" पू० |
| 29. | 3189352.820 | 698297.090 | 28° 48' 59.4563" उ० | 77° 01' 55.5505" पू० |
| 30. | 3189533.670 | 698061.060 | 28° 49' 05.4602" उ० | 77° 01' 46.9613" पू० |
| 31. | 3189584.430 | 697869.490 | 28° 49' 07.2148" उ० | 77° 01' 39.9294" पू० |
| 32. | 3189779.640 | 697775.500 | 28° 49' 13.6061" उ० | 77° 01' 36.5865" पू० |
| 33. | 3189852.000 | 697775.500 | 28° 49' 15.9560" उ० | 77° 01' 36.6320" पू० |
| 34. | 3189852.000 | 697708.500 | 28° 49' 15.9931" उ० | 77° 01' 34.1614" पू० |

उपभोगी संस्था द्वारा आवेदन में प्रस्तुत केएमएल फाइल से डब्ल्यूजीएस-84, यूटीएम-43 का उपयोग करके निर्देशांक पुनः प्राप्त किए गए हैं।

\*छूट प्राप्त क्षेत्र = 22.2617 हेक्टेयर

## DEPARTMENT OF FORESTS AND WILDLIFE

### NOTIFICATION

Delhi, the 3rd September, 2025

**F.ID No. 24482/TO(N)/TC-Transplant/2024-25/7511.**—WHEREAS, an application ID no. 24482 on DPTA e-Forest portal was received by the Tree Officer (North Forest Division) from the DGM (TLC), POWERGRID Narela Transmission Ltd, 765/400 kV Narela GIS Substation, Village Auchandi, New Delhi-110039, for seeking permission under the Delhi Preservation of Trees Act, 1994 (Delhi Act 11 of 1994) (hereinafter referred to as DPTA, 1994) for transplantation / felling of 50 number of trees affected due to construction of LILO of Meerut Bhiwani Transmission Line, Delhi under Delhi Preservation of Trees Act (DPTA), 1994 in an area of 22.2617 hectare.

**AND WHEREAS**, the Tree Officer (North Forest Division) after due application of mind, has sought exemption in respect of 22.2617 hectare area (as per details in Annexure A) under Section 29 of the DPTA, 1994 from applicability of Section 9 sub-section (3) of the DPTA, 1994, in view of limitation of maximum one hectare area for considering application of tree transplantation / felling by the Tree Officer (North Forest Division) in Section 9 sub-section (3) of the DPTA, 1994.

**THEREFORE**, in exercise of the powers conferred by Section 29 of the DPTA, 1994, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby, in public interest, exempts an area of 22.2617 hectare (as per details in Annexure-A), from the limitation of maximum one hectare area under sub-section (3) of Section 9 of the said Act for Construction of LILO of Meerut Bhiwani transmission line, Delhi under Delhi Preservation of Trees Act (DPTA), 1994 with the following conditions:-

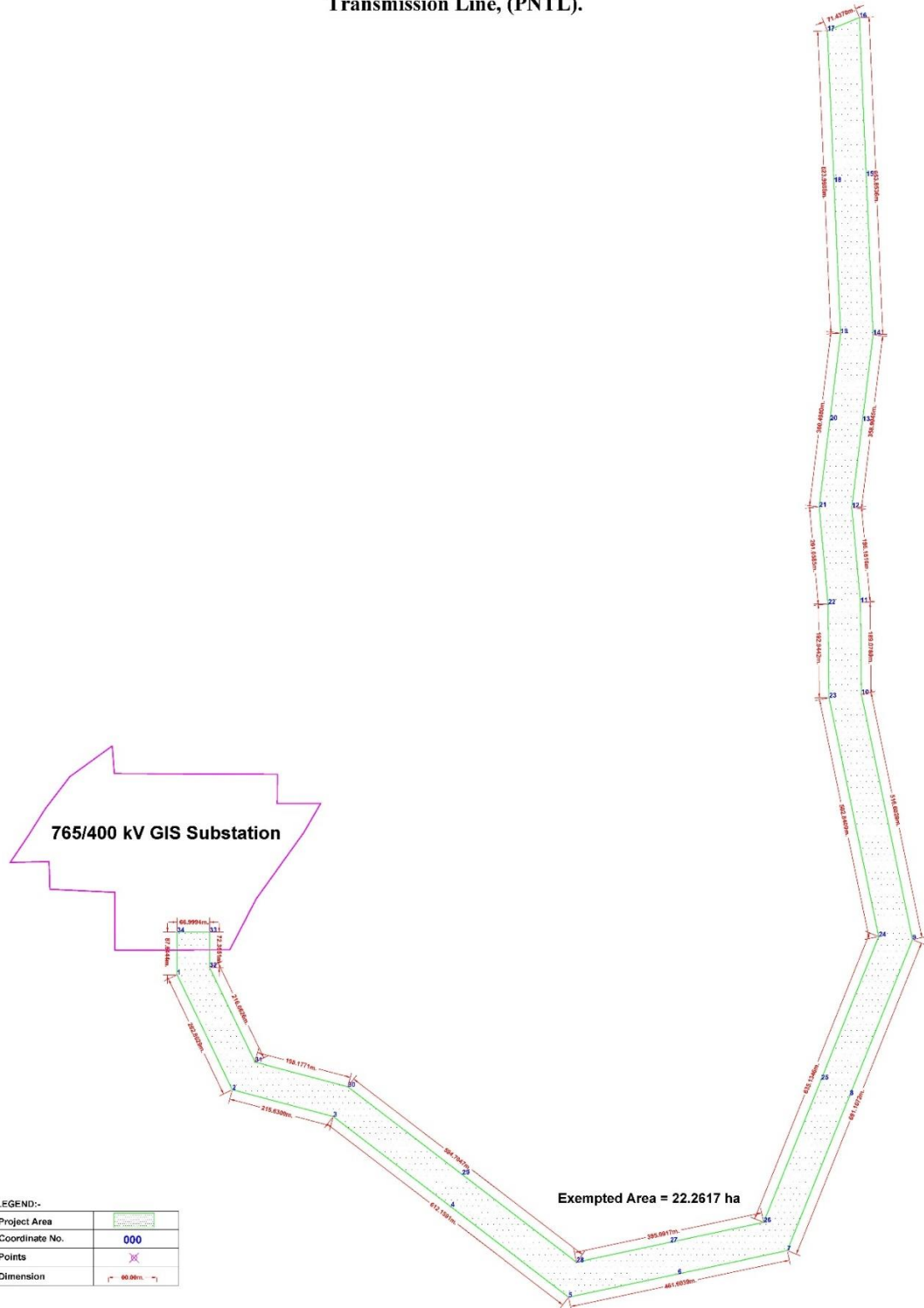
1. This notification is being issued under Section 29 of the DPTA, 1994 only to exempt the 22.2617 hectare area (as per details in Annexure A) from the limitation of maximum one hectare area under sub-section (3) of Section 9 of the DPTA, 1994 for Construction of LILO of Meerut Bhiwani Transmission Line, Delhi under Delhi Preservation of Trees Act (DPTA), 1994 as sought by the Tree Officer (North Forest Division).
2. This notification for exemption under Section 29 of the DPTA, 1994, in any case, shall not be considered as permission for felling/transplantation of trees under the DPTA, 1994.
3. The application for transplantation / felling of trees shall be considered and scrutinized independently and separately by the Tree Officer (North Forest Division) under the provisions of the DPTA, 1994, the Delhi Preservation of Trees Rules, 1996, relevant guidelines, directions issued in this regard and all relevant court orders with due application of mind minimizing the number of affected trees to be transplanted / felled from within the exempted area.

By Order and in the Name of the  
Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,

SANDEEP KUMAR, Principal Secy., (Environment & Forests)

**Annexure-A**

**Boundary details of the area exempted U/S 29 from limitation of max 1 ha area U/S 9 (3) of Delhi Preservation of Trees Act, 1994, for proposed Construction of LILO of Meerut Bhiwani Transmission Line, (PNTL).**



**Boundary Details of the Area Exempted U/S 29 from provision of limitation of max 1 ha area U/S 9 (3) Delhi Preservation of Trees Act, 1994, for Construction of LILO of Meerut Bhiwani Transmission Line, (PNTL).**

| S. No. | NORTHING    | EASTING    | LATITUDE           | LONGITUDE          |
|--------|-------------|------------|--------------------|--------------------|
| 1      | 3189764.360 | 697708.500 | 28° 49' 13.1471" N | 77° 01' 34.1063" E |
| 2      | 3189527.570 | 697822.510 | 28° 49' 05.3944" N | 77° 01' 38.1613" E |
| 3      | 3189472.330 | 698030.940 | 28° 49' 03.4850" N | 77° 01' 45.8121" E |
| 4      | 3189286.180 | 698273.910 | 28° 48' 57.3051" N | 77° 01' 54.6538" E |
| 5      | 3189100.030 | 698516.870 | 28° 48' 51.1251" N | 77° 02' 03.4948" E |
| 6      | 3189147.980 | 698742.640 | 28° 48' 52.5567" N | 77° 02' 11.8497" E |
| 7      | 3189195.940 | 698968.400 | 28° 48' 53.9884" N | 77° 02' 20.2042" E |
| 8      | 3189516.410 | 699097.630 | 28° 49' 04.3232" N | 77° 02' 25.1721" E |
| 9      | 3189836.890 | 699226.870 | 28° 49' 14.6582" N | 77° 02' 30.1406" E |
| 10     | 3190342.630 | 699121.460 | 28° 49' 31.1403" N | 77° 02' 26.5741" E |
| 11     | 3190531.690 | 699119.480 | 28° 49' 37.2808" N | 77° 02' 26.6209" E |
| 12     | 3190727.460 | 699101.690 | 28° 49' 43.6481" N | 77° 02' 26.0889" E |
| 13     | 3190905.570 | 699123.640 | 28° 49' 49.4198" N | 77° 02' 27.0112" E |
| 14     | 3191083.670 | 699145.590 | 28° 49' 55.1911" N | 77° 02' 27.9335" E |
| 15     | 3191410.290 | 699131.420 | 28° 50' 05.8055" N | 77° 02' 27.6180" E |
| 16     | 3191736.910 | 699117.260 | 28° 50' 16.4199" N | 77° 02' 27.3028" E |
| 17     | 3191709.730 | 699051.190 | 28° 50' 15.5742" N | 77° 02' 24.8489" E |
| 18     | 3191398.030 | 699064.800 | 28° 50' 05.4445" N | 77° 02' 25.1533" E |
| 19     | 3191086.330 | 699078.410 | 28° 49' 55.3149" N | 77° 02' 25.4577" E |
| 20     | 3190907.430 | 699056.360 | 28° 49' 49.5177" N | 77° 02' 24.5313" E |
| 21     | 3190728.540 | 699034.310 | 28° 49' 43.7208" N | 77° 02' 23.6048" E |
| 22     | 3190528.310 | 699052.520 | 28° 49' 37.2084" N | 77° 02' 24.1495" E |
| 23     | 3190335.370 | 699054.540 | 28° 49' 30.9418" N | 77° 02' 24.1018" E |
| 24     | 3189843.110 | 699157.130 | 28° 49' 14.8991" N | 77° 02' 27.5730" E |
| 25     | 3189548.590 | 699038.370 | 28° 49' 05.4012" N | 77° 02' 23.0074" E |
| 26     | 3189254.060 | 698919.600 | 28° 48' 55.9029" N | 77° 02' 18.4416" E |
| 27     | 3189213.020 | 698726.360 | 28° 48' 54.6778" N | 77° 02' 11.2905" E |
| 28     | 3189171.970 | 698533.130 | 28° 48' 53.4522" N | 77° 02' 04.1398" E |
| 29     | 3189352.820 | 698297.090 | 28° 48' 59.4563" N | 77° 01' 55.5505" E |
| 30     | 3189533.670 | 698061.060 | 28° 49' 05.4602" N | 77° 01' 46.9613" E |
| 31     | 3189584.430 | 697869.490 | 28° 49' 07.2148" N | 77° 01' 39.9294" E |
| 32     | 3189779.640 | 697775.500 | 28° 49' 13.6061" N | 77° 01' 36.5865" E |
| 33     | 3189852.000 | 697775.500 | 28° 49' 15.9560" N | 77° 01' 36.6320" E |
| 34     | 3189852.000 | 697708.500 | 28° 49' 15.9931" N | 77° 01' 34.1614" E |

Coordinates have been retrieved from KML file submitted in the application by the user agency using WGS-84, UTM-43.

\*\*Exempted area = 22.2617 Hac